OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय/विशेष पॉक्सो बहराइच द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,05,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Daily News

#BahraichPoliceInNews

https://linktr.ee/mediacellbahraich

दुष्कर्मी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

बहराइच। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने शुक्रवार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पिता ने 24 अगस्त 2021 को हुजूरपुर थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 25 जुलाई 2021 को लापता हो गई थी। 24 अगस्त 2021 को जानकारी हुई कि बेटी को कैसरगंज थाना क्षेत्र के गंडारा गांव निवासी राकिम उर्फ इरफान अपहृत कर ले गया था। तहरीर के आधार पर थाने की पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में सौंपी थी।

दालत से

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि ने मुकदमे में सुनवाई शुरू की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की दलील पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर अभियुक्त को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)

दुष्कर्म के मामले में बीस वर्ष का सश्रम कारावास

बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने दलित किशोरी के अपहरण, रेप व पाक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई और 1.05 लाख का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न किए जाने पर दस माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

हुजूरपुर थाने के एक गांव की किशोरी 25 जुलाई 2021 को 9 बजे घर से निकली और लापता हो गई थी। बालिका की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। परिजनों ने हर सम्भावित जगह पर तलाश की। करीब एक माह बाद 24 अगस्त 2021 को पता चला कि कैसरगंज थाने के गण्डारा गांव का निवासी युवक रकीब उर्फ इरफान उसे भगा ले गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि इस बात की जानकारी होने पर बालिका के पिता ने हुजूरपुर थाने में रकीब उर्फ इरफान के विरुद्ध अपहरण का केस दर्ज कराया। पुलिस ने बालिका को बरामद कर मेडिकल कराया। विवेचक ने साक्ष्य संकलित कर अपहरण, रेप, पाक्सो व एससीएसटी एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

BAHRAICH POLICE 24/7 #BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich

CONVICTING THE CRIMINALS

112 उत्तर प्रदेश आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

बहराइच पुलिस

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के दृष्टिगत बहराइच पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 20.09.2024 को माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय/ विशेष पॉक्सो बहराइच द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दण्डित किया गया ।

विवरण निम्नवत है –

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना हुजूरपुर में पंजीकृत मु.अ.सं. 248/2021 धारा 363, 376 भा.द.वि., 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)v(A) एससी.एसटी एक्ट के आरोप में अभियुक्त 1. रकीम उर्फ इरफान पुत्र रईश निवासी गण्डारा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच को 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,05,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

संत प्रताप सिंह
विशेष लोक अभियोजक

का0 बृजेश कुमार साहनी
कोर्ट मोहर्रिर

का0 अश्वनी गौतम
पैरोकार